

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1979/चैत्र 7, 1901
No. 134] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1979/CHAITRA 7, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1979

क्रा. अ. 160 (अ).—केंद्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (मार्गीत कार्य जांच आयोग संबंधी) भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 375 (अ) तारीख 30 मई, 1977 के साथ पठित इस मंत्रालय के तारीख 16 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं. 842 (अ) और तारीख 24 जून, 1978 की अधिसूचना सं. 408 (अ) और तारीख 27 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना सं. 739 (अ) में निम्नीलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में “31 मार्च, 1979 को या उससे पूर्व” शब्दों और अंकों के स्थान पर “31 मई, 1979 को या उससे पूर्व” शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[सं. 21/33/77-टी. कोमसेक.]
ज्योतिष पान्देय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1979

S.O. 160(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. 375(F), dated the 30th May, 1977 (relating to the Commission of Inquiry on Maruti Affairs), read with this Ministry's Notification Nos. S.O. 842(E) dated the 16th December, 1977, S.O. 408(E) dated the 24th June, 1978 and S.O. 739(E) dated the 27th December, 1978, namely :—

In para 4 of the said notification, for the words and figures “On or before 31st day of March, 1979” the words and figures “on or before 31st day of May, 1979” shall be substituted.

[No. 21/33/77-T-Comsec.]
J. C. PANDEY, Joint Secy.